प्रकृ

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिवर्द, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रामनगर (तैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक,

पत्र संख्याः क्षे० का०, मा० शि प०/मान्यता/

रामनगर, दिनांक /ऽ / 2000

74

की मान्यता का प्रार्थना-पत्र। कार्का :-आपका हाई स्कूल/इन्ट्र<u>स्मीडि</u>य्ट परीक्षा के लिए नवीन/अस्तिह<del>क (बर्ग/विषय</del>)

महोदय.

शासन ने मान्यता समिमि एवं संभाभित माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपमन्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (क्ष्मीयन) अधिनियम, 1987 / 1921 की धारा के क्ष्मि) धारा 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 200 / 🚓 की हाई स्कल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशोप प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त कर्ग/विषयों में बित्त बिहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

### सामान्य प्रतिबन्धा

- इस पत्र में ऑकत वर्ग/विषय की नवीन भेवी/अवीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकराण, सरुना, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशान्ता, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभून, गुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूरित) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा विदेशक (मा०) को पर्णरूपेण मतस्य कर उनमें लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमित के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे। (1)
- इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से वो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय उम शिक्षा निरोशक मान) से 9वीं/ प्रधी कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यवा इस पत्र द्वारा प्रवत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी आयेगी। 0
- सज्जा की व्यवस्था शीसन द्वारा निधारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगल सीटेड डेस्क व चेयसे ही स्वीकार क्य जायन। 0
- इस पत्र में ऑकंत विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धास्ति न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकानिक अध्यापको/ अध्यक्तिकाओं की नियंक्ति नियमानुसार की जाय। 1
- ाड नियमानुसार एक थोग्य प्रधानाचाथ/प्रधानांचायां की नियुक्ति की जाय।
- नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव बहुन करें। (9)

पुने पर तें ने व्या अहता का अगे हैं। कुछा, निवाहा। एक प्रत्ने आश्योक सि । वर्ष भागे । विकास के प्रति के होते वर्षित के विकास का अगे हैं। वर्षित अवस्ति के कि के कि अप सि । वर्षित अवस्ति के कि । वर्षित अवस्ति का अग्रिशी । वर्षित अपस्ति के वर्षित अवस्ति का अग्रिशी । वर्षित अपस्ति का अग्रिशी ।

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी

(ब) - क्रेंचा में प्राइमरो सब जानवार को धान्यवा नहां होने तथा बक्षार संवाधित सम्बद्ध न होने को युद्धि में नेठ किंध ग्रठ द्वारा प्रचल प्रमाण पत्र स्वेत

पिं - तस्या को प्रमल हाईस्का नवीन की बान्यता के नाम से प्रमाणन पोजना अनुसोचित 3 किसाय अमात्रात तथा क्राइस्था को मान क्रियोद्या के मान डिसि है रहजा रवे होते , ि प्रमूताय प्रारम् इवं हुर्गका कोष को प्रमामि स्क मांद्रा ज्या होने जीता संदर्भ के साथ जिल्ली जो कल मानायज्ञ सहित्रहें मध्य सरित्त पंजाकृत होते ा भीकट में सामा रिका बार्स वाविक्रम् का विवरण पन में

ETSFOR/

नवाम

अनिवार्य विषय

विवास समारिक रिकाम, नैतिक भारो रिक, हिम्दो, अने , अपने सम्बंद नामित,

समाजी पर्योगा उत्पादक वर्ष समायतेवा कार्या 明中 明明 9-108

一日本部四十

-छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अकित समस्त प्रतिबंधों (नियुष्टितयों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें। में प्रवेश हेतु कम से कम-

संस्था द्वारा उत्तत विन्न्युंख्यू एवं गुगों को पुरिट में सन्तत प्रताम पत्र ग्राप्त कर अमें सत्यापनोपरान्त नोट :-शंत्र्या धारा उत्त विन्न्हेबड्ड एवं 福里 इस कायर्गिय को

क्षेत्रीय सचिव । भवदीय,

पुट्टांकन संख्या आई०बी०/मान्यता/रामनगर/23-2) /2 ट्य

तद दिनांक / ८

प्रतिलिपि निम्निलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :-

- तिलीप निम्नांलोखित आवक्षात्मा है। । जिला विद्यालय निरोधक (मा०) । । । जिला विद्यालय निरोधक मण्डलीय उप शिक्षा निरोधक (मा०)
- (3) उप शिक्षा निष्टेशक (माध्यमिक) शिक्षा बिवेशानय छ० प्र., इलाहाबाद
  - (4) सचिव, मा० शि० प० इलाहाबाद।

पीरण्सवयूर्वी (आर व आर 0)-189 मार शिर पर-3-2-2000-500 प्रतियां (कम्पयूटर/आफ्सैट)।

# मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहराद्न कार्यालय-

पत्रांक : शिविर(बे0) / 15-क /

दिनांक 🌢 मई, 2019 'नवीनीकरण / 2019-20 /

# नवीनीकरण आदेश

कक्षा 01 से कक्षा 08 तक (हिन्दी माध्यम) के संचालन की अनुमति दिनांक 31.07.2018 तक प्रदान लिये नवीनीकृत किया जाता है और पांच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व के पत्रांक शिविर(मा०) / 15-क / 11521-11650 / मान्यता / 2013-14 की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.08.2018 से आगामी 5 वर्ष के गोवर्धन सरस्वती शिशु मन्दिर, 38 धर्मपुर, देहरादून (मान्यता कोड 586) आदेश की शेष शतैं यथावत रहेगी। दिनांक 13.09.2013 के द्वारा श्री कार्यालय

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी, (आशारानी पैन्यूली)

देहरादून।

तद्दिनॉक। नवीनीकरण / 2018-19 निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-1391-96 शिविर(बे०) / 15-क /

निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून। जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।

के अनुसार सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के निरीक्षण करते समस्त विद्यालयों अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त ि समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् नि

सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य

(आशाधिम पैन्यूली)

मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्. रामनगर (नैनीताल) अपर सचिव,

HI-19

गोवर्धन सरस्वती विधा भन्दिर प्रबन्धक.

- देहरायुन

京 本 本 大

पत्र संख्या : उठ कि एवं ५० ५०/मान्यता/रामनगर

430

दिनांक 30.7.

विषय :- आपका होई स्कूले / इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन / अतिरिक्त (वर्ग / विषय) की मान्यता का प्रार्थना पत्र। महोदय

बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 200 4 की इन्हेंस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नित्यित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता दिये शासन से मान्यता समिति एवं सभापति उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1987/1921 की धारा-7 क/धारा 9 (4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को जाने का आदेश प्रदान करें।

## सामान्य प्रतिबन्ध

THE PARTY OF

- सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रामृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें। इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन कुडी/11वीं कथा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापक गण, इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे। E
- इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक / मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) से अबी / 11वीं कक्षा संवालित करने की अनुमित प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी। (2)
- सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डैस्क व वेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे। 3
- इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अशकालिक अध्यापकों / अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय। 3
- नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। (2)
- नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें। (9)

ALTONO DEPOS

大山城,四

STATE OF THE PERSON NAMED IN A MARIN

#### विशेष प्रतिबन्ध

- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी। (H)
- झाटर स्तर की प्रयोग्याला स्व निवान उपकरणारे सर्व यंत्रादि का मानकानुसार क्य कर लिये जाय (dg)

वर्ग व विषयों का विवरण

अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

्रेनवीन् 100 िवद्यान 中に

्रिन्दी

अंगो, भौतिक विद्यान, रसायन विक्रा न नोव विद्यान, गरिगत

वाणिएय वर्ग

व्यापारिक क्रीठन एवं पत्र व्यवहार विष्यात तथा नेखा शास्त्र मुद्रा बैकिन एवं अस्तास्त्र

मिन्न उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही -में प्रवेश हेतु कम से कम पुरुषेक वर्ग में 40 निरीक्षक / निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमित प्रदान करें। िप्पणी-

पृष्ठांकन संख्या : उठ शिठ एवं पठ पठ/मान्यता/समनगर

तद दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :-

- जिला विद्यालय निरीक्षक —ऐत्तराचुन
- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गृह्वाल महाब्रल पाडी । शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तरायल, २ सुमाष संड, देहरादून।

(अपर सविव)

पीएएसएयू० (आर० ई०) 298 मार्गिश प०/589-5-12-2062-500 प्रतिया (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।